

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-150 / 2015

संस्थित दिनांक-21.02.2015

फूलमन्तबाई पति स्व. मेहताप जाति मरार उम्र 45 वर्ष
 साकिन बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **परिवादिनी**/ / **विरुद्ध** / /

1. सन्तु पिता पलटन उम्र 40 वर्ष जाति ढीमर,
 2. मुन्ना पिता बजारी उम्र 42 वर्ष जाति मरार,
 3. लक्ष्मण पिता नामालुम उम्र 60 वर्ष जाति मरार,
 4. पर्वतबाई पति सरवन उम्र 50 वर्ष जाति मरार,
 5. राजेन्द्र पिता छैयालाल उम्र 40 वर्ष जाति मरार,
 6. वन्दना पिता राजू उम्र 22 वर्ष जाति मरार,
 7. राजू पिता अर्जुन उम्र 40 वर्ष जाति मरार,
- सभी निवासी बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड
 तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अभियुक्तगण**/ / **निर्णय** / /**(आज दिनांक-29/01/2018 को घोषित)**

01. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2, 500 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-23.07.2014 को 11:00 बजे एवं दिनांक 31.07.2014 को सुबह 10:00 बजे ग्राम बंजारीटोला अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में परिवादिनी फूलमन्तबाई को लोकस्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, परिवादिनी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित कर परिवादिनी को जादू-टोना करने वाली सोधन कहकर उसकी मानहानि की।

02. परिवादिनी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिनी फूलमन्तबाई विधवा महिला है। घटना दिनांक 23/07/2017 को रात में खाना पीना खाकर वह अपने घर में सोई थी। उस समय अभियुक्त राजेन्द्र आया था और बोला था कि गांव में मीटिंग रखी हैं। उसके साथ वह चले राजेन्द्र के मकान के सामने बहुत से लोग बैठे थे अभियुक्तगण भी वहां पर बैठे थे। बाद में परिवादिनी की

पुत्री रामेश्वरी का पुत्र रामेश्वर, बहु सतवन्तीबाई तथा जवाई सहाबलाल भी हल्ला सुनकर वहां पर आ गये थे। सभी अभियुक्तगण आवेश में आकर कहने लगे थे कि परिवादिनी सोधिन है, गांव में कई लोगों को ठीक(सुधा) देती है। राजू कहने लगा था कि उसकी बेटी वंदना को परिवादिनी ने जादू टोना किया है। उसे गांव में नंगी करके घुमाओ, सभी समाज के लोगों के सामने इज्जत लूट लो तब इसकी नाक कटेगी। दिनांक 31/07/2014 को सुबह 10:00 बजे सभी अभियुक्तगण एक राय होकर परिवादिनी को धमकी देने लगे थे कि उनकी बेटी को परिवादिनी सुधारेगी नहीं तो उसे जान से खत्म कर देंगे। परिवादिनी अत्यधिक भयभीत होकर अपने घर के अंदर चली गयी थी एवं घर का दरवाजा बंद कर लिया था। अभियुक्तगण परिवादिनी को मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कहने लगे थे कि परिवादिनी कहीं पर मिलेगी तो जान से मारकर फेंक देंगे। सभी अभियुक्तगण परिवादिनी को गांव से बाहर करने की कह रहे थे। गांव के व्यक्ति परिवादिनी के गाय, बैल चराना बंद कर दो कह रहे थे। परिवादिनी ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 23/07/2014 एवं दिनांक 31.07.2014 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में की थी किन्तु पुलिस थाना मलाजखण्ड ने अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। घटना परिवादिनी के पुत्र रामेश्वर, साहबलाल, कुवरसिंह, नरबदसिंह एवं सतवन्तीबाई ने देखी थी। अभियुक्तगण ने परिवादिनी को जाति समाज से अलग करना एवं जादू-टोना करने वाली कहकर एवं सोधन डायन कहकर उसकी मानहानि की थी। परिवादिनी के परिवाद पत्र पर से न्यायालय ने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण पंजीबद्ध किया था।

03. अभियुक्तगण को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

04. अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष हैं, प्रकरण में उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव में बस्तुराम ब.सा.01, शंकरलाल हिरवाने ब.सा.02 की साक्ष्य कराई है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-23.07.2014 को 11:00 बजे एवं दिनांक 31.07.2014 को सुबह 10:00 बजे ग्राम बंजारीटोला अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में परिवादिनी फूलमंतबाई को लोकस्थान पर

अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर परिवादिनी को संत्रास कारित करने के आशय से परिवादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर परिवादिनी को जादू-टोना करने वाली सोधन कहकर उसकी मानहानि की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

06. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. फूलमंतबाई परि.सा.01 का कथन है कि अभियुक्तगण उसके गांव के हैं। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है। साक्षी घटना के समय उसके घर पर सो रही थी। तब साक्षी को राजेन्द्र बुलाने आया था और कहा था कि संतु बुला रहा है। साक्षी मीटिंग वाले स्थान पर गयी थी। तब अभियुक्त संतु ने कहा था कि वह करमसरा के पण्डा के पास में गया था उसने बताया था कि साक्षी ने वंदना को सांप से (चबवाई) कटवाई है। साक्षी से वंदना को सुधारने के लिए कहा था एवं साक्षी से कहा था कि वंदना को नहीं सुधारेगी तो गांव में नहीं रहने देंगे, परिवादिनी को नंगा करके घुमाएंगे, इज्जत लूट लेंगे एवं गांव से बाहर कर देंगे। परिवादिनी को जो बुलायेगा उसे भी गांव से बाहर कर देंगे। घटना के समय मीटिंग में रामेश्वरी, कुवरसिंह, साहबलाल थे। अभियुक्तगण ने कहा था कि साहबलाल गवाही देगा तो उसे भी गांव से अलग कर देंगे। अभियुक्तगण कह रहे थे कि पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगी तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। साक्षी से कहा था कि मर्डर करके कहीं भी फेंक देंगे। गांव के किसी भी कार्यक्रम में साक्षी को नहीं बुलाते हैं। जिसकी साक्षी ने रिपोर्ट की थी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। रिपोर्ट के तीन दिन बाद राजू आया था उसने साक्षी से कहा था कि साक्षी उसकी पुत्री को ठीक कर दे एवं साक्षी के बारे में कहा था कि उसको गांव में मत रहने दो। वह सोधाया है सबको खाती है। साक्षी को मारकर निकाल दो एवं अभियुक्त मुन्ना ने कहा था कि वह साक्षी को जरूर मारेगा। गांव वाले साक्षी से कोई बात नहीं करते हैं एवं उनको भी मुन्ना धमकी देता है। फूलमंतबाई परि.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार

किया है कि अभियुक्तगण ने गाली नहीं दी थी एवं अभियुक्तगण को झूठे प्रकरण में फंसाना चाहती है।

08. घटना की अन्य साक्षी रामेश्वरी पंचतिलक परि.सा.02 ने परिवादिनी फूलमतबाई की साक्ष्य के समान कथन करते हुए बताया है कि अभियुक्त लक्ष्मण कह रहा था कि परिवादिनी मरहादेव को मानती है, उसे गांव से भगा दो एवं उसके गाय, बैल चराना बंद कर दो। परिवादिनी को गांव में कोई नहीं बुलायेगा। परिवादिनी को शादी एवं कोई कार्यक्रम मे गांववाले नहीं बुलाते हैं। साक्षी को भी फूलमतबाई के साथ गांव से अलग कर दिया है। गांववाले साक्षी एवं फूलमतबाई को नीचि दृष्टि से देखते हैं। दिनांक 21.07.2014 को करीब दस बजे दिन में राजू आया था एवं गाली गलौच कर परिवादिनी से कह रहा था कि उसकी पुत्री वंदना को सुधार नहीं तो वह परिवादिनी को जान से मार देगा। इस कारण सभी घर के अंदर घुस गये थे। साक्षी घटना की रिपोर्ट करने उसकी मां के साथ पुलिस थाना मलाजखण्ड गयी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। रामेश्वरी पंचतिलक परि.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है परिवादिनी उसकी मां है। इस कारण अभियुक्तगण को प्रकरण में फंसाने के लिए झूठे कथन कर रही है।

09. बस्तुराम बचाव साक्षी क्र.01 का कथन है कि वह परिवादिनी एवं अभियुक्तगण को जानता है। गांव के लोग जानवरों को नहीं बांधते थे, छोड़ देते थे इसलिए नुकसान होता था। वर्ष 2014 में गांव में मीटिंग रखी थी जिसमें तीस-चालीस लोग मौजूद थे। गांव में जिनके पास जानवर थे उन सभी को छड़ीदार नियुक्त कर मीटिंग में बुलाया था। दिनांक 23.07.2014 को सभी मीटिंग में उपस्थित हुए थे एवं सभी लोगो को समझाया था कि अपने-अपने जानवरों को बांधकर रखना, जिससे खेती का नुकसानी नहीं हो। परिवादिनी ने कहा था कि वह अपने जानवरों को नहीं बांधेगी जो बने कर लो। अभियुक्तगण परिवादिनी के रिश्तेदार हैं। अभियुक्तगण एवं परिवादिनी के बीच में पूर्व से दुश्मनी है। इसलिए अभियुक्तगण का नाम लेकर परिवादिनी मीटिंग में गाली गलौच करने लगी थी। अभियुक्तगण ने परिवादिनी से किसी प्रकार की गाली-गलौच नहीं की थी। परिवादिनी अपने जानवरों को नहीं बांधती है। जो लोग बांधने के लिए कहते हैं उन्हें गाली-गलौच करती है एवं परिवादिनी को गांव समाज की होने के कारण किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया गया है वह स्वयं ही नहीं आती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि संतु एवं गांव के व्यक्तियों ने परिवादिनी को गांव से अलग कर दिया है।

10. शंकरलाल बचाव साक्षी क02 ने बस्तुलाल ब.सा.01 की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि मीटिंग में तीस-चालीस व्यक्ति उपस्थित थे। जो व्यक्ति घरों में अपने गाय, बेलों को बांधकर नहीं रखते हैं उसके संबंध में मीटिंग हुई थी, मीटिंग में परिवादिनी भी उपस्थित थी। मीटिंग में परिवादिनी को समझाया था तो परिवादिनी ने सभी उपस्थित व्यक्तियों को धमकी दी थी कि सभी की थाने में रिपोर्ट करेगी एवं अभियुक्तगण के साथ गाली-गलौच करने लगी थी। अभियुक्तगण के द्वारा फूलमंतबाई को मीटिंग में गाली-गलौच नहीं की गयी थी। परिवादिनी ने अभियुक्तगण को झूठे केस में फंसाने की धमकी समाज के समाने दी थी। फूलमंतबाई को किसी प्रकार से समाज से अलग नहीं किया है, वह सामाजिक कार्य में आती-जाती है। फूलमंतबाई अपने जानवरो को नहीं बांधती है। फूलमंतबाई को जानवरों को बांधने के लिए कहते हैं तो वह झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है।

11. प्रकरण में परिवादिनी के अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि अभियुक्तगण परिवादिनी को जादू-टोना करने वाली कहकर उसकी मानहानि करते हैं एवं अभियुक्तगण ने घटना के समय कहा था कि परिवादिनी को समाज से एवं गांव से निकाल दो एवं उसका गांव में किसी के भी घर आना-जाना बंद कर दो। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि परिवादिनी उसके मवेशी को छोड़कर गांववालों की फसल चरवा देती है। परिवादिनी से कुछ कहने पर वह नहीं मानती है। परिवादिनी एवं अभियुक्तगण की रंजिश है इस कारण परिवादिनी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में परिवादिनी फूलमंतबाई परि.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि उसकी अभियुक्तगण से घटना के पहले से रंजिश है। बस्तुराम ब.सा.01, शंकरलाल हिरवाने ब.सा.02 ने भी उनकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्तगण एवं परिवादिनी रिश्तेदार हैं उनकी पूर्व से रंजिश है। रंजिश एक दुधारी तलवार है जिसका उपयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। जहां पक्षकारों के मध्य रंजिश है एवं साक्ष्य के सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता है। विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है एवं सभी साक्षी हितबद्ध हैं एवं परस्पर निकट रिश्तेदार हैं।

12. प्रकरण में परिवादिनी ने घटना के संबंध में अपनी साक्ष्य के अतिरिक्त उसकी पुत्री रामेश्वरी पंचतिलक परि.सा.02 की साक्ष्य करायी है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी ने प्रकरण में घटना के साक्षी साहबलाल, कुवरसिंह, नरबदसिंह, सवन्तीबाई की साक्ष्य नहीं करायी है। इन साक्षीगण में से किसी भी साक्षी एवं

परिवादिनी ने उसके गांव के किसी भी व्यक्ति की साक्ष्य उसके पक्ष में घटना के संबंध में नहीं कराया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की घटना के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को परिवादिनी फुलमंतबाई परि.सा.01 एवं रामेश्वरी परि.सा.02 ने अस्वीकार किया है कि फुलमंतबाई अपने गाय-बैल को लावारिश छोड़ देती है जिससे दूसरों की फसल का नुकसान होता है। मीटिंग परिवादिनी के गाय-बैल बांधने की समझाईश के लिए रखी गयी थी। बस्तुराम ब.सा.01, शंकरलाल हिरवाने ब.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में बताया है कि गांव में गांववालों के गाय-बैल बांधकर रखने के संबंध में मीटिंग रखी गयी थी। मीटिंग में परिवादिनी उपस्थित थी। परिवादिनी से कहा था कि वह भी अपने मवेशियों को बांधकर रखा करे, इस बात पर परिवादिनी अभियुक्तगण को गाली देने लगी थी, रिपोर्ट करने की धमकी दी थी। संभवतः इस कारण ही परिवादिनी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध यह परिवाद पत्र प्रस्तुत की है जो विश्वसनीय दर्शित नहीं होती है। यदि प्रकरण की घटना हुई होती तो परिवादिनी के पक्ष में उसके परिवाद पत्र में उल्लेखित साक्षी साहबलाल, कुंवरसिंह, नरबदलाल अवश्य ही साक्ष्य देते। परंतु इन साक्षीगण ने परिवादिनी की साक्ष्य के समर्थन में अपनी साक्ष्य नहीं दी है एवं परिवादिनी की पुत्री के अतिरिक्त परिवादिनी के गांव के भी किसी व्यक्ति ने परिवादिनी के पक्ष में अपनी साक्ष्य नहीं दी है। इससे परिवादिनी का प्रकरण संदिग्ध दर्शित होता है। परिवादिनी की पुत्री रामेश्वरी की साक्ष्य के अनुसार उसकी एवं उसकी मां की अभियुक्तगण से घटना के पूर्व से बातचीत नहीं होती है। यदि अभियुक्तगण की परिवादिनी से बातचीत नहीं होती थी तो वह परिवादिनी को मीटिंग में क्यों बुलायेंगे। परिवादिनी की पुत्री घटना के समय घटनास्थल पर पहुंच गयी थी परंतु परिवादिनी की पुत्री की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण ने उसे गाली नहीं दी थी। रामेश्वरी पंचतिलक परि.सा.02 घटना के समय घटनास्थल पर पहुंच गयी थी वह परिवादिनी की पुत्री है तो अभियुक्तगण परिवादिनी की पुत्री को भी अवश्य गाली देते। परंतु अभियुक्तगण ने परिवादिनी की पुत्री को गाली नहीं दी थी। इससे भी प्रकरण की घटना के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

13. रामेश्वरी पंचतिलक परि.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि गांव में मीटिंग के समय पटेल, कोटवार, मुकद्दम को बुलाया जाता है उन्हीं के द्वारा समस्या का हल किया जाता है। मीटिंग में अभियुक्तगण के अतिरिक्त और कौन थे उसे पता नहीं है। यदि घटना के समय गांव की मीटिंग रखी गयी थी तब उसमें अवश्य ही गांव के पटेल, कोटवार,

मुकद्दम उपस्थित हुए होंगे परंतु वह मीटिंग के समय वह उपस्थित नहीं थे। उनके उपस्थित नहीं होने का परिवादिनी ने प्रकरण में कोई कारण नहीं बताया है। इससे प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है कि घटना के समय मीटिंग रखी गयी थी या नहीं रखी गयी थी। परिवादिनी की पुत्री को भी यह पता नहीं है कि अभियुक्तगण के अतिरिक्त मीटिंग में और कौन-कौन लोग उपस्थित थे। घटना के समय एवं मीटिंग होते समय परिवादिनी की पुत्री घटनास्थल पर पहुंच गयी थी। परिवादिनी की पुत्री ने अवश्य ही गांव के अन्य व्यक्तियों को मीटिंग में देखा होगा परंतु परिवादिनी की पुत्री को यह पता नहीं है मीटिंग में अभियुक्तगण के अतिरिक्त और कौन-कौन व्यक्ति उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में परिवादिनी की पुत्री की साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। बचाव पक्ष की साक्ष्य के अनुसार परिवादिनी अपने मंवेशियों को खुला छोड़ देती है, जिससे गांव के व्यक्तियों की फसल का नुकसान होता है। इसी बात के लिए गांववाले व्यक्तियों ने एवं अभियुक्तगण ने परिवादिनी को समझाया था लेकिन परिवादिनी ने गांववालों एवं अभियुक्तगण की बात नहीं मानकर उनसे विवाद किया था एवं कहा था कि वह उसके मंवेशियों को नहीं बांधेगी। इस बात पर से ही परिवादिनी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध यह परिवाद पत्र प्रस्तुत की है। घटना का साक्षी साहबलाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होकर परिवादिनी का जमाई है परंतु उसने भी परिवादिनी के पक्ष में साक्ष्य नहीं दी है इससे भी प्रकरण में संदिग्धता दर्शित होती है। परिवादिनी द्वारा प्रकरण में उसकी एवं उसकी पुत्री के अतिरिक्त किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य प्रकरण में नहीं करायी है। परिवादिनी एवं उसकी पुत्री की साक्ष्य विश्वसनीय दर्शित नहीं होती है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है। संदेह का लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिए। संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना उचित है। अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506(भाग-2), 500 के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावें।

15. अभियुक्तगण का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / -
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सही / -
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट